अनुदान संख्या–14 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–2515001011700–46

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/168/2016–1/513/2016 लखनऊः दिनांक 16 फरवरी, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में ई–डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए स्मार्टफोन दिये जाने हेतु रू0–530.00 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–321/33–3–2016–100(21)/2015 दिनांक 02 फरवरी, 2016 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में कार्यरत 4548 ग्राम पंचायत अधिकारियों को रू0–11653.47 प्रति इकाई की दर से स्मार्टफोन उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0–530.00 लाख **(रूपया पॉच करोड़ तीस लाख मात्र)** स्वीकृत धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– पुनर्विनियोग/आवंटित की जारी धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व स्वयं आप अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेगें कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत हैं।

2– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–2–2015/बी–1–925/दस–2015–231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित शर्तो, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों का अनुपालन स्वीकृति की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

3– उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6– उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगें।

7– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या– 14 के लेखाशीर्षक ''2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101–पंचायती राज–17–ई–डिस्ट्रिक योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारियों को टैबलेट/स्मार्टफोन/लैपटॉप दिया जाना–46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय'' के नामें डाला जायगा।

8– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

कृ0पृ0उ0

9– धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–120 पर अंकित है।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः1 / शा0 / 168 / 1 / 2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद–211001.
3– प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– उप निदेशक(पं0) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
7– एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016
आवंटन दिनांक-16/02/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 001-513-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
17 - ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अधिकारियों को

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	53000000 53000000	53000000 53000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	53000000 53000000	53000000 53000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ तीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ तीस लाख

(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी